भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *135
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जॉब कार्ड हटाना

***135. श्री लालजी वर्मा:**
श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत नामावली से हटाए गए जॉब कार्डों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और कुल संख्या कितनी है और जॉब कार्डों को हटाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) 10 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2025 के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत नामावली से हटाए गए कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है और क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान 27 लाख मनरेगा कामगारों को नामावली से हटा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक मनरेगा नामावली से हटाए गए मनरेगा कामगारों का ब्यौरा क्या है और मनरेगा नामावली से मनरेगा कामगारों को हटाए जाने की इतनी अधिक दर के राज्य-वार और वर्ष-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या कारण हैं;

(घ) क्या कामगारों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली और मजदूरी के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली आधार आधारित भुगतान प्रणाली के परिणामस्वरूप अनुमानित दो करोड़ कामगारों को पहले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से बाहर कर दिया गया है;

(ङ) गलत तरीके से नाम हटाए जाने के विरुद्ध शिकायत करने के लिए क्या शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है और ऐसी कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है; और

(च) क्या सरकार ने गलत तरीके से हटाए गए जॉब कार्डों को बहाल करने और गलत तरीके से हटाए गए कामगारों की बहाली के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। जॉब कार्ड को अद्यतन करना/हटाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाली नियमित प्रक्रिया है। जॉब कार्ड मुख्य रूप से जाली/डुप्लीकेट/गलत जॉब कार्ड, परिवार को ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से हटाने, ग्राम पंचायत को शहरी के रूप में वर्गीकृत करने और जॉब कार्ड में केवल एक सदस्य का नाम होने और उसकी मृत्यु होने आदि कारणों से हटाए जाते हैं। हालांकि, मज़दूरों को हटाते/जॉब कार्ड हटाते/मिटाते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के नियमों और मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र या योग्य परिवार का जॉब कार्ड हटाया/निरस्त न किया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना से वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक हटाए गए जॉब कार्डों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है

नोट: नरेगासॉफ्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हटाए किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या 457.97 लाख थी, जबकि इसी अवधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए जॉब कार्डों की कुल संख्या 654.22 लाख थी।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 10-10-2025 से 14-11-2025 के दौरान जॉब कार्ड से हटाए गए कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

नोट: नरेगासॉफ्ट के अनुसार, 10-10-2025 से 14-11-2025 की अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए कुल कामगारों की संख्या 10.84 लाख है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड से हटाए गए कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

नोट: नरेगासॉफ्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए कुल कामगारों की संख्या 881.68 लाख थी।

इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर और अयोध्या जिले, जिसका कुछ हिस्सा अंबेडकर नगर लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, में जॉब कार्ड से हटाए गए कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:

जिले	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंबेडकर नगर	4757	5384	7934	150137	109539
अयोध्या	719	1976	1684	44361	62877
कुल	**5476**	**7360**	**9618**	**194498**	**172416**

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 जनवरी, 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए एक दिन में कामगारों की दो-बार स्टैम्प वाली, जियो-टैग की गई फोटो के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार बदलाव और बाद में अद्यतन न होने के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि एनएमएमएस और बैंक खाता के आधार से जुड़ें न होने के कारण जॉब कार्ड हटाए नहीं जा सकते।

(ङ) और (च): जॉब कार्ड हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जॉब कार्ड हटाने और वापस जोड़ने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। मानक संचालन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा निर्देशों का पालन हो, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, नाम हटाने की शर्तें तय करके कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा करती है, शिकायत निस्तारण प्रणाली बनाती है, और नाम

हटाने/निरस्त करने से पहले, अगर कोई लंबित देनदारी है तो उसका निस्तारण सुनिश्चित करती है।

मानक संचालन प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया के महत्व पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए जॉब कार्ड की मसौदा सूची का प्रकाशन, ग्राम सभाओं में सत्यापन, और प्रभावित कामगारों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। इसमें जाली और गलत प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए जॉब कार्ड को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य जॉब कार्ड के गलत उपयोग को रोकना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सही लाभार्थी बाहर न हो। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रामाणिकता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस योजना का फ़ायदा पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।

इसके अलावा, वार्षिक मास्टर परिपत्र में नरेगासॉफ्ट में एक विशिष्ट शिकायत निस्तारण मॉड्यूल दिया गया है, जिससे कामगारों/नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और जवाबों को ट्रैक करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, इसमें लिखी हुई शिकायतें, टेलीफ़ोन हेल्पलाइन और "शिकायत रजिस्टर" (ग्राम पंचायत स्तर पर सात अनिवार्य रजिस्टर में से एक) में प्रविष्टि भी शामिल हैं।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निस्तारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) शिकायत दर्ज करने के लिए मौजूद मुख्य शिकायत निस्तारण प्रणाली में से एक है। यह एक ऑनलाइन मंच है जहाँ नागरिक मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी शिकायतों का अच्छे से समाधान हो गया है।

लोकसभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

महात्मा गांधी नरेगा से वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक हटाए गए जॉब कार्डों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हटाए गए जॉबकार्डों की संख्या					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	24248	3426	185079	2882724	370326	148478
2	अरुणाचल प्रदेश	7311	6151	9596	8875	12869	15651
3	असम	65699	96586	76244	157138	282142	576220
4	बिहार	77290	182407	1273514	5870225	2112092	981284
5	छत्तीसगढ़	129658	170304	139660	264839	294544	399026
6	गोवा	1	8	11	21	24	53
7	गुजरात	40314	131080	40289	146141	338533	53616
8	हरियाणा	5083	15413	8531	11028	8834	6237
9	हिमाचल प्रदेश	4057	8000	10351	18119	15543	4559
10	जम्मू और कश्मीर	33032	94078	37635	38388	73015	30123
11	झारखंड	50568	89427	228674	954252	324524	176956
12	कर्नाटक	27534	7197	41843	203185	96036	27286
13	केरल	17725	23773	27340	110722	218752	89300
14	लद्दाख	675	1336	889	1421	897	452
15	मध्य प्रदेश	513979	1062861	1100109	366349	695278	51890
16	महाराष्ट्र	22105	48460	28201	72863	37625	26449
17	मणिपुर	3961	11126	4449	3153	5778	6395
18	मेघालय	8017	8119	5449	3832	15375	13181
19	मिजोरम	6607	9896	8580	4149	4902	9988
20	नागालैंड	9999	1136	1797	2528	3759	8999
21	ओडिशा	121028	313621	793292	2370031	523622	286009
22	पंजाब	16675	14330	65858	340659	69225	20981
23	राजस्थान	80406	117660	129285	634800	393797	55563
24	सिक्किम	1302	784	1343	1409	2133	1969
25	तमिलनाडु	33148	126017	155065	315049	653677	633820
26	तेलंगाना	4084	5282	15976	510683	84744	80166
27	त्रिपुरा	8571	8684	5951	5938	20798	8742
28	उत्तर प्रदेश	99849	201871	582074	4858064	3315158	91568
29	उत्तराखंड	7370	16508	26004	148098	44229	45150
30	पश्चिम बंगाल	10554	19374	27741	2177536	169691	9026
31	अंडमान और निकोबार	1930	1528	448	143	70	308
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और द्वीप	0	0	0	0	2	14
33	लक्षद्वीप	2	1	8	18	52	37
34	पुदुचेरी	126	245	258	4394	606	480
	कुल	**1432908**	**2796689**	**5031544**	**22486774**	**10188652**	**3859976**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

लोकसभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।

महात्मा गांधी नरेगा से दिनांक 10-10-2025 से 14-11-2025 के दौरान हटाए गए कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।		
क्रं. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**हटाए गए** कामगारों **की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	130
2	आंध्र प्रदेश	1107339
3	अरुणाचल प्रदेश	896
4	असम	6920
5	बिहार	9610
6	छत्तीसगढ़	65619
7	गोवा	2
8	गुजरात	5433
9	हरियाणा	309
10	हिमाचल प्रदेश	9877
11	जम्मू और कश्मीर	79070
12	झारखंड	2724
13	कर्नाटक	27004
14	केरल	20124
15	लद्दाख	604
16	लक्षद्वीप	18
17	मध्य प्रदेश	5327
18	महाराष्ट्र	15061
19	मणिपुर	1111
20	मेघालय	532
21	मिजोरम	1480
22	नागालैंड	1254
23	ओडिशा	80896
24	पुदुचेरी	3
25	पंजाब	16898
26	राजस्थान	13701
27	सिक्किम	1543
28	तमिलनाडु	33090
29	तेलंगाना	95084
30	त्रिपुरा	6341
31	उत्तर प्रदेश	17236
32	उत्तराखंड	6526
कुल योग		**1631762**

लोकसभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड से हटाए गए कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हटाए गए कामगारों की संख्या				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	211267	181014	618582	7517856	1096736
2	अरुणाचल प्रदेश	28621	23422	35053	34433	58257
3	असम	227261	268422	345666	608253	792138
4	बिहार	147381	267823	2002521	8900402	3178680
5	छत्तीसगढ़	501629	639811	540686	1186037	1395412
6	गोवा	2	14	22	24	34
7	गुजरात	154654	435435	143195	559478	975994
8	हरियाणा	14281	30479	17023	17997	18939
9	हिमाचल प्रदेश	18855	34197	45819	78439	77015
10	जम्मू और कश्मीर	92619	255607	112814	107120	212281
11	झारखंड	109402	182440	462251	2030163	654727
12	कर्नाटक	123550	57101	250665	855967	547661
13	केरल	49287	55289	72189	348598	540033
14	लद्दाख	2480	3303	2686	7130	3209
15	मध्य प्रदेश	1813001	3823679	4540607	1471373	2698235
16	महाराष्ट्र	98526	210868	229270	428628	227851
17	मणिपुर	29830	64315	54240	90027	127349
18	मेघालय	34042	31556	20707	20466	118486
19	मिजोरम	31245	35061	20414	10269	15010
20	नागालैंड	41988	4934	7630	15155	21754
21	ओडिशा	441314	1097748	2605164	7686413	1499868
22	पंजाब	35200	33095	128296	598046	127741
23	राजस्थान	537168	818142	793487	3046893	2151059
24	सिक्किम	3638	3122	4623	4528	8792
25	तमिलनाडु	121125	417563	440825	782200	1690416
26	तेलंगाना	11135	129577	61278	1723810	302478
27	त्रिपुरा	29185	35817	29874	37486	103710
28	उत्तर प्रदेश	202170	398460	1097908	8024982	5600653
29	उत्तराखंड	18523	48363	66235	355786	124556
30	पश्चिम बंगाल	93725	130301	157309	8340066	603689
31	अंडमान और निकोबार	3394	3324	909	320	190
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और द्वीप	0	0	0	0	145
33	लक्षद्वीप	2	2	11	63	86
34	पुदुचेरी	683	1374	1865	49528	2068
	कुल	**5227183**	**9721658**	**14909824**	**54937936**	**24975252**